-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **कूटरचित नियुक्ति पत्र देकर सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 15 लाख रुपये की ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त को थाना मटौंध पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा कूटरचित नियुक्ति पत्र देकर सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 15 लाख रुपये की ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी जितेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 05.12.2025 को थाना मटौंध पर सूचना दी गई थी कि थाना मटौंध क्षेत्र के ग्राम अछरौड़ निवासी विनोद कुमार द्वारा उसे इण्टर कॉलेज में बाबू के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 15 लाख रुपये लिए गए तथा विश्वास में लेने के लिए उसे कूटरचित नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया और बांदा स्थित कॉलेज में जाकर नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। पीड़ित को जब जानकारी हुई कि वहां बाबू के पद जैसी कोई नियुक्ति नहीं हुई है तब उसे ठगी का एहसास हुआ। तत्पश्चात जब उससे अपने 15 लाख रुपये वापस मांगे गए तो व्यक्ति द्वारा रुपये वापस करने से इनकार कर दिया गया तथा जानन से मारने की धमकी दी गई। सूचना के आधार पर थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 25.09.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त विनोद कुमार को खैराड़ा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विनोद कुमार पुत्र बाबू निवासी अछरौड़ थाना मटौंध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 230/25 धारा 319(2)/318(4)//338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्रा
2. कां0 पुष्पेन्द्र कुमार